3613 2023

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

30 AUG 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GN 251895

(प्रारुप –अ)

शपथ पत्र

हम डा0 चन्द्रशेखर (अध्यक्ष) एवं सचिव डा0 रोशनी पटेल कमशः अध्यक्ष एवं सचिव इन्द्रा वेलफेयर ट्रस्ट, पोस्ट कुरहुआ जिला वाराणसी यु0 पी0 221011 शपथ पुर्वक निम्नवत बयान करते है।

1– यह की हमारे ट्रस्ट द्वारा इन्द्रा फार्मेसी कालेज, कुरहुआ वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221011 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी, संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2– यह कि हमारे ट्रस्ट इन्द्रा वेलफेयर ट्रस्ट, कुरहुआ तहसील सदर, जिला वाराणसी, यु0 पी0 221011 के मे गाटा संख्या 376,363,375, एवं कुल रकबा 0.6797 हेक्टेयर भूमि है।

यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

4– यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि की गाटा संख्या 376,363,375, एवं कुल रकबा 0.6797 हेक्टेयर भूमि है पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 12–06–2022 द्वारा पारित किया गया है।

5– यह कि उपरोक्त भूमि पर भी प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतू भवनो का निर्माण अनुमोदित नकशा के अनुसार किया गया है।

6– यह कि निरिक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उसपर निर्मित एवं निधारित भवनो को ही निरिक्षण समिति के समक्ष निरिक्षण हेतू प्रस्तुत किया गया है।

7– यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अर्न्तगत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का संचालन किया जायेगा।

NOTARY S.P.Pandey Distt. Varanasi (U.P.) Regd. 1297 E.D 2021-2026 GOVT OF INDIA

30/8/23

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY
GOVT OF INDIA

ह0 सचिव
Indra Welfare Trust
सचिव
Varanasi

30/08/23

ह0 अध्यक्ष
Indra Welfare Trust
अध्यक्ष
Varanasi

Oathed by Deponent before me